कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।
ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः– प.37 (1588) गृरमु / पीएसएएल / 2016 / 8561-63 दिनांकः– 17 AUG 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स–टाईगर सिक्यूरिटी सर्विसेज एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर लाईसेन्स संख्या 1445 / CD&HG HQ(S-Cell)/2017 दिनांक 24.07.2017 वैद्यता दिनांक 23.07.2022 का वार्षिक निरीक्षण कराये जाने पर उक्त वर्णित एजेन्सी व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पसारा अधिनियम 2005 के प्रावधानो का उल्लघंन करना व नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) के राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक (एन.ओ.एस.) के अनुसार संचालित होना नहीं पाया गया। इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मूलभूत सुविधाओं तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरणो की कमी पायी गई फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4952 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा एजेन्सी प्रोपराईटर श्री लोकेन्द्र सिंह को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा नोटिस का जवाब संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नहीं पाये जाने के कारण इन्हे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आवेदक दिनांक 02.06.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हुआ। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लघंन व मूलभूत सुविधा, संसाधनों की कमी को स्वीकार किया गया। अतः नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 6448–49 दिनांक 12.06.2020 के तहत उक्त निजी सुरक्षा एजेन्सी व प्रशिक्षण संस्थान का लाईसेन्स एक माह हेतु निलम्बित करते हुये आवेदक को पत्र क्रमांक 6458 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा सूचित किया गया कि वह 30 दिवस में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की पूर्ति कर पालना से अवगत करावें। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रशिक्षण संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की पूर्ति कर दी गई है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की पुर्ति की गई अथवा नहीं इसका सत्यापन कराये जाने व लाईसेन्स निलम्बन के आधार के निरस्तीकरण होने तक उपरोक्त निजी सुरक्षा एजेन्सी व प्रशिक्षण संस्थान का लाईसेन्स प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 12.08.2020 से पुनः एक माह के लिये निलम्बित किया जाता है।

17/8/2020

(राजीद दासोत IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह शक्तावत निवासी ए–4, कि्र्ती नगर, चन्देरिया पुलिस थाने के पीछे, चित्तोडगढ।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

(राजीव दासोत IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान, जयपुर